न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 122 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लुम्बाराम पुत्र रणछोड़ाराम जाति कलबी निवासी गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भूपाराम पुत्र करनाराम
2.देवाराम वल्द रणछोड़ाराम के कायम मुकामः—
2/1मफताराम पुत्र देवाराम
2/2भैराराम पुत्र देवाराम
2/3दुर्गादेवी पत्नी देवाराम जाति कलबी निवासी गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3.तहसीलदार गुड़ामालानी
4.उपपंजीयक, गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2012 बअनवान भूपाराम बनाम देवाराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.07.2019

राजस्व अपील अधिकारी 02 बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा गांधव खुर्द में खसरा संख्या 120, 125, 126, 190, 200, 220, 236, 330/49, 331/49, 370/17, 432/17, 433/17, 434/17, 436/147, 437/147 कुल रकबा 104.01 बीघा व मौजा गांधव कला में खसरा संख्या 389/41 रकबा 03.06 बीघा तहसील गुड़ामालानी में आये हुऐ है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 खातेदारी अधिकारों का है परन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुल्ले हु नहीं है इसलिये वादी वादग्रस्त खेतों में अपने 1/3 हिस्से की घोषणा करवाकर विभाजन करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम की तलबी में चल रही था। तब विचाराधीन पत्रावली को लोक अदालत के कैम्प कोर्ट गांधव कला में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा न ही कोई नोटिस दिया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में ही वाद में बिना जबावदावा रेकर्ड पर लिये, बिना तनकीयात कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किये तथा बिना साक्ष्य लिये तथा बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही वादग्रस्त भूमि की घोषणा करते हुए विभाजन करने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान कर दिये। अपीलांट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मात्र उतरदाता संख्या 01 के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया जो बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम की तलबी में चल रही था। तब विचाराधीन पत्रावली को लोक अदालत के कैम्प कोर्ट गांधव कला में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा न ही कोई नोटिस दिया गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में ही वाद में बिना जबावदावा रेकर्ड पर लिये, बिना तनकीयात कायम किये तथा बिना साक्ष्य लिये तथा बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही वादग्रस्त भूमि की घोषणा करते हुए विभाजन करने हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान कर दिये। अपीलांट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मात्र उतरदाता संख्या 01 के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय है। वर्तमान में उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत हुआ तथा धमकी दी कि मैने न्यायालय में अपने पक्ष में निर्णय करवा लिया है तथा अब आपको जबरन बेंदखल कर दिया जायेगा। जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर वाद निर्णित करने की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने आलोच्य निर्णय दिनांक 08.06.2016 की प्रमाणित प्रति दिनांक 14.10.2016 को प्राप्त की, तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने मामला कैम्प कोर्ट गांधव कला में निपटाया। इसकी अपीलांट को सम्यक सूचना देकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अपीलांट की अनुपस्थिति के बावजूद भी उसकी उपस्थिति दर्शाई गई। मामला खातेदारी अधिकारों एवं विभाजन का था परन्तु प्राथमिक डिक्री जारी कर पत्रावली निर्णीत कर दी। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन के संबंध में अंतिम डिक्री नहीं की गई जबकि रिकॉर्ड पर विभाजन की इस्तदुआ तर्क किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट के अपीलाधीन निर्णय में घोषित हक–हिस्सों के बाबत कोई आपति नहीं है, वे अपीलाधीन निर्णय में वादी के घोषित 1/3 हिस्से को निर्विवाद स्वीकार करते हैं, अंतिम डिक्री जारी करने के पूर्व विभाजन प्रस्ताव विधिवत रूप से मंगवाया जाना लाजमी है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2012 बअनवान भूपाराम बनाम देवाराम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 को यथावत रखा जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय मामले को पुनः दर्ज कर तहसीलदार गुड़ामालानी की उपस्थिति में उभयपक्ष को पूर्व सम्यक सूचना तामील करवाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार कर मंगवावे एवं उस पर उभयपक्ष को सुना जाकर निर्णय पारित करे।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner